

प्रेस नोट दिनांक-20.03.2023

(1). पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री भास्कर मिश्र के नेतृत्व में थाना राजापुर पुलिस टीम द्वारा वहद ग्राम भभेट से 03 अभियुक्तों को चोरी की 04 अदद मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय हैं कि वरि0उ0नि0 थाना राजापुर श्री रामवीर सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम भभेट में बंद पड़े ईट भट्टे के करीब बने कमरे से अभियुक्त 1. राजा उर्फ राजबहादुर रैदास पुत्र बुद्धुलाल निवासी सिकरी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 2. कामता प्रसाद पुत्र बिहारीलाल निवासी सिकरी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 3. विष्णु रैदास पुत्र स्व0 पंचा रैदास निवासी सिकरी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को चोरी की 04 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त राजा उर्फ राजबहादुर रैदास उपरोक्त के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल HERO HF Delux रंग काला लाल जिस पर रजि0नं0 UP96 1209 व चेचिस नं0 MBLMACO23JHM0734 अंकित है को मोबाइल एप से सर्च करने पर पाया गया कि उक्त का वास्तविक नम्बर UP73 U 5204 है। अभियुक्त कामता प्रसाद उपरोक्त के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल हीरो HF Deluxe रंग काला नीला जिसके पीछे नम्बर प्लेट पर UP71 AC 1204 व चेचिच नम्बर MBLHAR232HHF00737 अंकित है को मोबाइल एप के माध्यम से सर्च करने पर उक्त मोटरसाइकिल का वास्तविक रजि0नं0 UP71 AC 4204 पाया गया। पूछताछ पर बताया कि साहब राजा रैदास मेरे घर का बगल का है जो चोरी की गाड़ियां बेचता है को मैंने 10 हजार रूपये गाड़ी खरीदने हेतु पहले ही दे दिये थे पांच हजार रूपये मोटरसाइकिल के कागजात उपलब्ध करवाने पर देने की बात हुई थी। यह मोटरसाइकिल मैंने राजा रैदास से खरीदी है। अभियुक्त विष्णु रैदास उपरोक्त के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल हीरो HF Deluxe रंग काला व लाल जिस पर चेचिस नं0 MBLHAR206JHB14138 अंकित है को मोबाइल एप से सर्च करने पर इस मोटरसाइकिल का वास्तविक रजि0नं0 UP90 R 3224 होना पाया गया। पूछताछ पर बताया कि साहब राजा रैदास मेरे गांव का है जो चोरी की गाड़ियां बेचता है को मैंने 15500/- रूपये गाड़ी खरीदने हेतु पहले ही दे दिये थे पांच हजार रूपये मोटरसाइकिल के कागजात उपलब्ध करवाने पर पुनः देने की बात हुई थी। यह मोटरसाइकिल मैंने राजा रैदास से खरीदी है। कमरे के अन्दर से बरामद एक अन्य मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्रो रंग काला व लाल जिस पर कोई रजि0नं0 अंकित नहीं है। जिस पर चेचिस नं0 MBLHI0APC9FO5413 अंकित है को मोबाइल एप से सर्च करने पर इस मोटरसाइकिल का

वास्तविक रजि0नं0 UP 71 P 6361 पाया गया के सम्बन्ध में अभियुक्त राजा रैदास ने बताया कि यह गाड़ी भी मैंने चोरी की है जिसे बेचने के लिए कल ग्राहक को बुलाया था ।

अभियुक्त राजा उर्फ राजबहादुर रैदास उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह चारों मोटरसाइकिल मैंने जनपद कौशाम्बी, फतेहपुर व बांदा से चोरी की है । इन चोरी की गाड़ियों को बेंचकर मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं । चोरी की 02 मोटरसाइकिल को आज मैंने अपने गांव के कामता प्रसाद व विष्णु रैदास को बेची है । मोटरसाइकिल HERO HF Deluxe रंग काला व लाल जिस पर रजि0नं0 UP73 U 5204 के स्थान पर UP96 1209 नम्बर प्लेट पुलिस से पकड़े जाने के डर से बचने के लिए लगाकर रखा था ।

बरामदगी के आधार पर अभियुक्त राजा उर्फ राजबहादुर रैदास उपरोक्त के विरूद्ध धारा 419,420,467,468,471,411,413 भादवि0 व अभियुक्तगण कामता प्रसाद व विष्णु रैदास के विरूद्ध धारा 41/411 भादवि0 का अभियोग थाना राजापुर में पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का विवरण:-

1. राजा उर्फ राजबहादुर रैदास निवासी बुद्धलाल निवासी सिकरी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
2. कामता प्रसाद पुत्र बिहारीलाल निवासी सिकरी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
3. विष्णु रैदास पुत्र स्व0 पंचा रैदास निवासी सिकरी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

बरामदगी:-

- 1.HERO HF Delux रंग काला लाल रजि0नं0 UP96 1209 (वास्विक नम्बर UP73 U 5204)
- 2.हीरो HF Deluxe रंग काला नीला रजि0नं0 UP71 AC 1204 (वास्तविक रजि0नं0 UP71 AC 4204)
- 3.हीरो HF Deluxe रंग काला व लाल (वास्तविक रजि0नं0 UP90 R 3224)
- 4.हीरो स्प्लेण्डर प्रो रंग काला व लाल (वास्तविक रजि0 नं0 UP 71 P 6361)

अभियुक्त राजा उर्फ राजबहादुर रैदास का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 58/2023 धारा 419,420,467,468,471,411,413 भादवि0 थाना राजापुर
2. मु0अ0सं0 609/2012 धारा 147,148,304,323,504,506 भादवि0 कोतवाली कर्वी

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 थाना राजापुर श्री रामवीर सिंह
2. मुख्य आरक्षी संतोष त्रिपाठी
3. आरक्षी उमेन्द्र त्रिपाठी
4. आरक्षी उज्ज्वल पाण्डेय
- 5.आरक्षी मनोज कुमार
6. आरक्षी निशान्त यादव

(2). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री रमेश सिंह यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र द्विवेदी पुत्र इन्द्रनारायण द्विवेदी निवासी देवकली थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों पर हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण 1. फूलसिंह पुत्र मटरू पटेल उर्फ शिवकुमार, 2. अयोध्या प्रसाद पुत्र स्व0 लोटन प्रसाद 3. नन्दू पटेल उर्फ विचित्रवीर उर्फ रामजी पुत्र स्व0 राम अवतार 4. रामनरेश पटेल पुत्र श्रीराम राजापुर निवासीगण देवकली थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 5. मानसिंह पुत्र खुइया निवासी पैकोरामाफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट मौके से भाग निकलें। अभियुक्तों के मालफड़ से 3800/- रूपये, 52 अदद ताश के पत्ते तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त धर्मेन्द्र द्विवेदी उपरोक्त की जामातलाशी से 1300/- रूपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 13 जुआ अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

- 1.मालफड़-3800/- रूपये, 52 अदद ताश के पत्ते
2. जामातलाशी-1300/- रूपये

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री रमेश सिंह यादव थाना रैपुरा
2. आरक्षी अशोक कुमार
3. आरक्षी तिलकराज
4. आरक्षी सत्येन्द्र कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय द्वारा कोतवाली कर्वी व थाना भरतकूप के विवेचकों का अर्दली रूम किया गया। महोदय द्वारा लंबित विवेचनाओं की समीक्षा कर गुण दोष का आधार पर शीघ्र निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित विवेचक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

अर्दली रूम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह, थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिंद एवं अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सैरैया श्री चन्द्रमणि पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त कमलेश लोध पुत्र नत्थू लोध निवासी ग्राम कैथीपुरवा मजरा हनुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 14 लीटर कच्ची देशी शराब महुआ निर्मित के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 26/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. चौकी प्रभारी सैरया श्री चन्द्रमणि पाण्डेय
2. आरक्षी चंद्रभूषण राय
3. आरक्षी दशरथ राम

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वाँछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 21/2023 धारा 376,323,504,506 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के वाँछित अभियुक्त कल्लू प्रसाद पुत्र जागेश्वर यादव निवासी रामपुर थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. आरक्षी अमित सिंह
3. आरक्षी बब्बू राजा

(ii). उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 157/2023 धारा 147,323,504,506,452 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त बब्बू तिवारी उर्फ बबुलिया पुत्र ललई निवासी मु0 महापात्र परासन टोला कर्वी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी मो0आरिफ

(6). आज दिनांक-20.03.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी यातायात श्री एस0पी0 सोनकर के पर्यवेक्षण में टीएसआई श्री योगेश कुमार यादव एवं यातायात पुलिस द्वारा कर्वी शहर में वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान स्कूली वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स, विन्डो जाली एवं फायर उपकरण को चेक किया गया तथा निर्धारित क्षमता में बच्चों को बैठालने हेतु बताया गया एवं धीमी गति से वाहन चलाने एवं यातायात नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये। टैम्पो वाहनों को चेक किया गया तथा चालकों को सख्त निर्देश दिये गये कि शहर में निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्किंग करें तथा ओवरलोड सवारी बिल्कुल न बैठाये एवं

सवारी उतारते व चढ़ते समय वाहन को सड़क किनारे खड़ा करें। 02/04 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट/सीट बेल्ट लगाने, ओवरस्पीड न चलाने एवं हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने हेतु बताया गया। वाहन चालकों को वाहन चलाते समय हेडफोन या मोबाइल फोन का प्रयोग न करने के लिए बताया गया। चेकिंग के दौरान मालवाहक वाहन को भी चेक किया गया। यातायात नियमों के संबंध में जानकारी देकर पालन करने हेतु जागरूक किया गया। वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने, हेमलेट/सीट बेल्ट लगाने एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु बताया गया। टीएसआई द्वारा वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन न चलाने हेतु जागरूक किया गया तथा धीमी गति से वाहन चलाने हेतु निर्देशित किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान बिना ड्राइविंग लाइसेंस, 03 सवारी, बिना हेलमेट/सीट बेल्ट, ओवरस्पीड वाहनों का पेण्डिंग ई-चालान किया गया।

(7). आज दिनांक-20.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अनुज मिश्र के पर्यवेक्षण में, डॉग स्क्वाड एवं एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा चैत्र मास अमावस्या पर्व के दृष्टिगत रामघाट, परिक्रमा मार्ग, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग की गई।

(8). आज दिनांक-20.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में नवरात्रि, रमजान माह एवं ईद उल फितर के दृष्टिगत थाना रैपुरा में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय की उपस्थिति में एवं थाना बरगढ़ में प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ श्री योगेश तिवारी की अध्यक्षता में थाना क्षेत्र के धर्मगुरुओं, ग्राम प्रधानों, पीस कमेटी के सदस्यों एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।